निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 वैशाख 1937 (शo)

(सं0 पटना 576) पटना, सोमवार, 18 मई 2015

(भविष्य निधि निदेशालय)
वित्त विभाग

अधिसूचनाएं
18 मई 2015

सं0 जी0पी0एफ0–01–254/2010–3614—भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल भविष्य निधि निदेशालय एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग में भर्ती एवं सेवा–शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

अध्याय–1
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार।–** (1) यह नियमावली भविष्य निधि निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालय लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा–शर्तें) नियमावली 2015 कही जा सकेगी ।

(2) यह नियमावली राज्य के भविष्य निधि कार्यालयों के लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों पर लागू होगी। इसका विस्तार संबंधित कार्यालयों के संदर्भ में राज्य स्तरीय होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ।–** इस नियमावली में, जबतक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(1) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है, बिहार के राज्यपाल,
(2) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, बिहार–सरकार,
(3) ''विभाग'' से अभिप्रेत है, वित्त विभाग,
(4) ''निदेशालय'' से अभिप्रेत है, भविष्य निधि निदेशालय,
(5) ''अधीनस्थ कार्यालय'' से अभिप्रेत है, जिला भविष्य निधि कार्यालय,
(6) ''आयोग'' से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग,
(7) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है, संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन,
(8) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है, भविष्य निधि निदेशालय एवं भविष्य निधि निदेशालय के अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग,
(9) ''वर्ष'' से अभिप्रेत है, पंचाँग वर्ष अर्थात पहली जनवरी से 31 दिसम्बर,

(10) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है, संवर्ग में नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व से भविष्य निधि निदेशालय के अधीन नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कोई व्यक्ति इसमें शामिल होगा ।

3. **संवर्ग–गठन।–** (1) भविष्य निधि निदेशालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिकीय संवर्ग का गठन निम्नानुसार होगाः–

क्र0 सं0	कोटि का नाम	स्तर
(क)	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि
(ख)	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर
(ग)	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर

(2) इन कर्मियों का वेतनमान वही होगा, जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

अध्याय–2

भर्ती

4. **संवर्ग बल।**– संवर्ग बल का अवधारण आवश्यकतानुसार वित्त विभाग द्वारा किया जायेगा।

5. **सेवा में भर्ती।**– (1) निम्नवर्गीय लिपिक की श्रेणी में 85 प्रतिशत पद आयोग की अनुशंसा पर सीधी भर्ती से भरे जायेंगे एवं 15 प्रतिशत पद वैसे चतुर्थवर्गीय कर्मियों, जो लिपिक पद पर नियुक्ति की अपेक्षित अर्हता रखते हों, से बिना किसी परीक्षा के वरीयतानुसार भरे जायेंगेः

परंतु सीधी भर्ती के 85 प्रतिशत पदों में से 5 प्रतिशत पद अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आरक्षित रहेंगे।

(2) *उप–नियम (1) के परन्तुक में इसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, किसी वर्ष में अनुकम्पा के आधार पर सभी नियुक्तियों के पश्चात शेष बची रिक्तियां सीधी भर्ती से भरी जाएंगी।*

(3) निम्नवर्गीय लिपिक की अगली वार्षिक वेतन वृद्धि तभी देय होगी जब वह सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम कम्प्यूटर साक्षरता जांच परीक्षा उत्तीर्ण होंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के आधार पर, रिक्तियों की गणना करेगा और आवश्यक होने पर 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेजेगा।

(5) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को मेधाक्रम से अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधासूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।

(6) सम्यक् छानबीन के बाद नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थियों की नियुक्ति परिवीक्षा पर दो वर्षों के लिए करेगा।

(7) नियुक्ति प्राधिकार निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु इस पद पर नियुक्ति की अर्हता रखने वाले समूह 'घ' कर्मियों की वरीयता सूची तैयार करेगा और उक्त सूची से वरीयतानुसार प्रोन्नति, विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर दी जा सकेगी।

6. **अर्हता।**– (1) इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण के ज्ञान के साथ–साथ इन्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या उसके समकक्ष होगी।

(2) नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जैसा कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा, समय–समय पर अवधारित की जाय।

7. **आरक्षण।**– इस नियमावली के अधीन नियुक्ति एवं प्रोन्नति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर, निर्गत आरक्षण संबधी नियम, परिपत्र एवं आदेश लागू होंगे।

8. **परीक्ष्यमान अवधि।**– (1) नियम 3 के तहत भर्ती किए गए निम्नवर्गीय लिपिक नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और ऐसी परिवीक्षा अवधि, यदि परिवीक्षाधीन की अनुपालन सेवा तथा कार्य संतोषजनक न हो, एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगीः

परन्तु यह कि उक्त उल्लेखित परीक्ष्यमान अवधि नहीं विस्तारित की जाएगी यदि नियुक्ति प्राधिकार, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, संतुष्ट है कि ऐसे लिपिक के आचरण एवं कार्य में सुधार की गुंजाइश नहीं है।

(2) बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि में भी ऐसे लिपिक की सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर, परिवीक्षा पर नियुक्त लिपिक को सेवा–मुक्त किया जा सकेगा।

9. **सम्पुष्टि।**– संतोषजनक परीक्ष्यमान अवधि पूरा होने, उक्त अवधि की चारित्री संतोषप्रद होने एवं सरकार द्वारा विनिश्चित विभागीय परीक्षा एवं कम्प्यूटर सक्षमता की परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।

10. **संवर्ग का स्तर।**– यह संवर्ग राज्य स्तरीय संवर्ग होगा। इस संवर्ग के कर्मी राज्य के किसी जिला भविष्य निधि कार्यालय में स्थानान्तरित किये जा सकेंगे।

11. **वरीयता।–** (1) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मियों की वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित मेघा सूची के क्रमानुसार होगी।

(2) एक ही वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति उसी वर्ष सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे।

(3) (क) राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड/निगमों से समायोजन द्वारा नियुक्त कर्मियों की वरीयता ऐसे कर्मियों के सामान्य भविष्य निधि निदेशालय अथवा अधीनस्थ कार्यालय में समायोजन की तिथि से विनिश्चित होगीः

परन्तु एक ही तिथि को समायोजित कर्मियों की वरीयता उनके जन्म तिथि के अनुसार निर्धारित होगीः

परन्तु और कि प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट कर्मियों की जन्म तिथि में समानता की दशा में उनकी वरीयता उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार विनिश्चित होगी।

(ख) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मियों की वरीयता सामान्य भविष्य निधि निदेशालय अथवा अधीनस्थ कार्यालय में नियुक्ति की तिथि के अनुसार निर्धारित होगी;

(ग)(i) राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, गुलजारबाग, पटना के कार्यालय में लिपिक के रूप में कार्यरत ऐसे कर्मी जिन्हें, सेवा हस्तांतरण के फलस्वरूप, सामान्य भविष्य निधि निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थापित किया गया हो, की वरीयता उनकी नियुक्ति की तिथि के अनुसार विनिश्चित होगी;

(ii) राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, गुलजारबाग, पटना के कार्यालय में गैर–लिपिकीय सम्वर्ग में कार्यरत ऐसे कर्मी जिन्हें सेवा हस्तांतरण के फलस्वरूप सामान्य भविष्य निधि निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में तृतीय वर्गीय पदों पर पदस्थापित किया गया हो, की वरीयता उनके सेवा हस्तांतरण के फलस्वरूप पदस्थापन की तिथि के अनुसार विनिश्चित होगी:

परन्तु एक ही तिथि को सेवा हस्तान्तरण के फलस्वरूप पदस्थापित कर्मियों की वरीयता उनके जन्म तिथि के अनुसार विनिश्चित होगी:

परन्तु और कि प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट कर्मियों की जन्म तिथि में समानता की दशा में उनकी वरीयता उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार विनिश्चित होगी; तथा

(घ) जल विकास निगम के वैसे अतिरेक कर्मी जिन्हें सामान्य भविष्य निधि निदेशालय के अधीन स्थानांतरण द्वारा नियुक्त (समायोजित) किया गया है की वरीयता सामान्य भविष्य निधि निदेशालय के अधीन योगदान की तिथि से विनिश्चित होगी।

(4) उप–नियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, विशेष परिस्थिति में एवं भिन्न श्रोतों से भविष्य निधि निदेशालय के अधीन नियुक्तियों को ध्यान में रखते हुए इन नियमों के अधीन वरीयता के आधार पर किसी कर्मी का वेतन उत्क्रमण (stepping up) का दावा अनुमान्य नहीं होगा।

अध्याय–3
प्रोन्नति

12. **प्रोन्नति**।– (1) इस संवर्ग में सेवा सम्पुष्ट होने, हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं उच्च स्तर से विभागीय लेखा परीक्षा के दोनों पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करने पर ही उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नति की जा सकेगी।

(2) उच्चवर्गीय लिपिक एवं उच्चतर पदों पर प्रोन्नति *वरीयता–सह–योग्यता* के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी।

(3) प्रोन्नति के लिए कालावधि वह होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर विनिश्चित की जाय।

(4) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

अध्याय–4
प्रकीर्ण

13. इस नियमावली में जिन विषयों या बिन्दुओं पर प्रावधान नहीं है, उसके संबंध में राज्य सरकार के कर्मियों के लिए तत्समय प्रवृत नियम/अनुदेश लागू होंगे।

14. इस नियमावली के किसी प्रावधान के संबंध में यदि कोई शंका हो, तो विभाग द्वारा, विधि विभाग से परामर्श के पश्चात् किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, दूर किया जा सकेगा।

15. **विनियम बनाने की शक्ति**।– इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकतानुसार विभाग विनियमावली बना सकेगी।

16. **निरसन एवं व्यावृत्ति**।– (1) लिपिकों की नियुक्ति/प्रोन्नति संबंधी पूर्व के निर्गत सभी परिपत्र/अनुदेश एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त परिपत्र/अनुदेश के अधीन किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गई समझी जाएगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया था या वैसी कार्रवाई की गई थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आनन्द किशोर,
सचिव, व्यय।

18 मई 2015

सं0 जी0पी0एफ0–01–254/2010–3615––अधिसूचना संख्या 3614 दिनांक 18 मई 2015 का निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत–संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँगरेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आनन्द किशोर,
सचिव, व्यय।

The 18th May 2015

No. GPF-01-254/2010-3614—In exercise of the powers conferred under Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for regulating the appointment and service conditions of the clerical cadre of the General Provident Fund Directorate and its subordinate offices.

Chapter 1
Preliminary

1. Short title, extent and commencement.-

(1) These Rules may be called the "General Provident Fund Directorate and Subordinate Offices Clerical Cadre (Appointment and Service Conditions) Rules, 2015".

(2) These Rules shall apply to the clerical cadre employees of the General Provident Fund Offices of the State of Bihar. In the context of the concerned offices, it shall extend to the state level.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.- In these rules, unless otherwise requires in any context-

(1) "Governor" means the Governor of Bihar;

(2) "Government" means the Government of Bihar;

(3) "Department" means the Finance Department;

(4) "Directorate" means General Provident Fund Directorate;

(5) "Subordinate Office" means District Provident Fund Office;

(6) "Commission" means The Bihar Staff Selection Commission;

(7) "Appointing authority" means The Joint Commissioner, Accounts Administration;

(8) "Cadre" means the clerical cadre of General Provident Fund Directorate and its subordinate offices;

(9) "Year" means the calendar year that is to say, the first day of January to the thirty first day of December;

(10) "Member" means any person appointed to the cadre and it includes any person appointed and working on a regular basis in the clerical grade under the General Provident Fund Directorate before coming into force of these Rules.

3. Constitution of Cadre.- (1) The constitution of the clerical cadre in General Provident Fund Directorate and its subordinate offices shall be as follows:-

Sl. No.	Name of the Category	Level
(a)	Lower Division Clerk	Basic Category
(b)	Upper Division Clerk	First Promotion Level
(c)	Head Clerk	Second Promotion Level

(2) The pay scale of these employees shall be such as may be sanctioned by the State Government from time to time.

Chapter 2
Appointment

4. Cadre Strength.- The cadre strength shall be determined by the Finance Department as per its requirements.

5. Appointment to the Service.- (1) Eighty five percent of the posts in the category of Lower Division Clerk level shall, on the recommendation of the Commission, be filled by direct appointment and fifteen percent of such posts shall be filled without any examination on the basis of seniority, from amongst such Class Four employees of the Government who possess the required qualification for the appointment as Clerks:

Provided that five percent of the eighty five percent posts in the direct appointment category shall be reserved for appointment on compassionate grounds.

(2) *Notwithstanding anything contained in the proviso to sub-rule (1), any vacancy that may remain after all appointments on compassionate grounds have been made during a year, shall be filled up by direct appointment.*

(3) Annual increment of pay to Lower Division Clerks shall be granted only if they have qualified in the Minimum Computer Literacy Test Examination prescribed by the General Administration Department.

(4) The appointing authority shall, on the basis of first day of April of each year, calculate the vacancies and, if required, shall send the requisition to the Commission by the thirtieth day of April.

(5) The Commission shall advertise the vacancies and shall recommend, to the appointing authority, the names of successful candidates in order of the merit prepared after selection on the basis of The Competitive Examination. The merit list shall be valid for a period of one year from the date of receipt of such recommendation.

(6) The appointing authority shall, after due scrutiny of the credentials, appoint the candidates on probation for a period of two years.

(7) For the purpose of appointment to the post of Lower Division Clerk by promotion, the appointing authority shall prepare a seniority list of such Group 'D' employees having requisite qualifications for appointment to the said post, and the promotion on the basis of seniority may be given from the said list on the basis of the recommendation of the Departmental Promotion Committee.

6. Qualifications.- (1) The educational qualification for appointment in this cadre shall be Intermediate (10+2) pass or equivalent alongwith knowledge of computer operation and computer typing.

(2) The minimum age for the appointment shall be 18 years and the maximum age-limit shall be such as may be determined, by the General Administration Department, Government of Bihar, from time to time.

7. Reservation.- The rules, circulars and orders regarding reservation issued by the General Administration Department shall apply to the appointments and promotions under these Rules.

8. Probation period.- (1) All Lower Division Clerks appointed under Rule 3 shall remain on probation for a period of two years from the date of appointment and such probation period may be extended for one year if the services and work of the probationer are not satisfactory:

Provided that the probation period shall not be extended as aforesaid if, the appointing authority, for reasons to be recorded in writing, is satisfied that there is no chance of improvement in the conduct and the working of the probationer.

(2) The services of such clerk being found unsatisfactory even during the extended period of probation, the clerk appointed on probation shall be terminated from service.

9. Confirmation.- The service may be confirmed only on completing the probation period and confidential reports of the said period being satisfactory and after passing the Departmental Examination and the Computer Competency Test determined by Government.

10. Level of Cadre.- This cadre will be State Level Cadre. The employee of this cadre may be transferred to any District Provident Fund Office of the State of Bihar.

11. Seniority.- (1) The seniority of the employees by direct recruitment shall be in order of the merit-list recommended by the Commission.

(2) The persons appointed by promotion in any one year shall be senior to the persons appointed by direct recruitment in the same year.

(3) (a) The seniority of employees appointed by absorption from various Boards/Corporations of the State Government shall be determined from the date of absorption of such employees in the General Provident Fund Directorate or subordinate offices:

Provided that the seniority of the employees absorbed on the same date, shall be determined in accordance with their dates of birth:

Provided further that in case of similarity of the dates of birth of the employees specified in the first proviso, their seniority shall be determined in accordance with their educational qualification.

(b)The seniority of employees appointed on compassionate grounds shall be determined in accordance with their dates of appointment in the General Provident Fund Directorate or subordinate offices.

(c)(i) The seniority of such employees working as a clerk in The Rajkiya Lekhan Samagri Bhandar evam Prakashan, Gulzarbagh, Patna and who have been posted in the General Provident Fund Directorate and subordinate offices consequent to service transfer, shall be determined in accordance with the date of their appointments.

(ii) The seniority of such employees working in the non-Clerical cadre in Rajkiya Lekhan Samagri Bhandar evam Prakashan, Gulzarbagh, Patna and who have been posted on class 3 posts in the General Provident Fund Directorate and subordinate offices consequent to service transfer shall be determined in accordance with the dates of posting consequent to service transfer:

Provided that the seniority of the employees posted upon service transfer shall be determined in accordance with their dates of birth:

Provided further that in case of similarity of the dates of birth of the employees specified in the first proviso, the seniority shall be determined in accordance with their educational qualification.

(d) The seniority of such excess employees of Water Development Corporation, who have been appointed (absorbed) in the General Provident Fund Directorate by transfer shall be determined from the dates of their joining under the General Provident Fund Directorate.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (3), in view of the special circumstances, and having regard to the appointments from the various sources under the General Provident Fund, no claim for stepping up of pay of any employee on the basis of seniority under these rules shall be admissible.

Chapter – 3
Promotion

12. Promotion.- (1) Promotion to the post of Upper Division Clerk may be given only on confirmation in the cadre, passing in the Hindi Noting and Drafting Examination and in both the papers of the Departmental Accounts Examination at higher level.

(2) Promotion to the posts of Upper Division Clerk and higher posts may be given on the basis of *seniority-cum-eligibility* on the recommendations of the Departmental Promotion Committee.

(3) Kalawadhi for promotion shall be such as may be determined by the General Administration Department from time to time.

(4) The Departmental Promotion Committee may be constituted by the Department.

Chapter – 4
Miscellaneous

13. In respect of all such matters not specifically provided for in these rules, the Rules or instructions applicable to the employees of the State Government for the time in force, shall apply.

14. If any doubt arises in respect of any of the provisions of these Rules, it may be removed by the department, after consultation with the Law Department, by such general or special order which is not inconsistent with the provisions of these Rules.

15. Power to make Regulations.- The Department shall have the power to make Regulations as per needs to make effective the provisions of these Rules.

16. Repeal and Savings.- (1) All circulars / instructions relating to the appointment / promotion of the clerks are hereby repealed:

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said circulars/instructions shall be deemed to be done or taken under these Rules as if it were come into force on the day on which such thing was done or such action was taken.

By Order of the Governor of Bihar,
ANAND KISHOR,
Secretary, Expenditure.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 576-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in